न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 42/2022/दावा

मोहनलाल पुत्र रत्तीराम जाति कलाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

–बनाम–

1. उमेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति माली,

2. द्वारकालाल पुत्र तुलसीराम जाति माली,

3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली,

निवासीगण ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा

4. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल पत्नी प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम व पोस्ट राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा,

5. निर्मला पुत्री कन्हैयालाल पत्नी लेखराज सुमन जाति माली निवासी ग्राम बडोरा तहसील अटरू जिला बारां,

6. मंजू पुत्री कन्हैयालाल पत्नी दोलतराम जाति माली निवासी बडोरा तह0 अटरू जिला बारां,

7. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास,

8. दाखां बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति माली निवासी ग्राम पनवाड तहसील खानपुर मृतक जर्ये कायम मुकामान

8/1. हेमन्त कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार माली,

8/2. शेखर माता संतूबाई पुत्र गिरिराज माली,

8/3. ईशू माता संतूबाई पुत्री गिरिराज जाति माली निवासीगण घांसभैरू जी चबूतरे के पास अन्ता जिला बारां,

8/4. रिंकूबाई माता संतूबाई पुत्री गिरिराज पत्नी मुकेश जाति माली निवासी तेलियो के मंदिर के पास ताथेड जिला कोटा,

9. नन्दकंवरबाई पुत्री रामनारायण पत्नी द्वारकालाल जाति माली निवासी देदिया गांव का रास्ता मस्जिद के पास खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड,

10. बिरधीलाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी गुलमोहर चौराहा पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड,

11. चम्पाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद,

12. छीतरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद,

13. मनभरबाई पुत्री प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद तह0 सांगोद जिला कोटा,

14. ममता पुत्री सत्यनारायण जाति माली,

15. रविन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति माली,

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

16. सीमा पुत्री सत्यनारायण जाति माली,

17. कन्याबाई पत्नी स्व० सत्यनारायण जाति माली

निवासी भैरुजी के चबूतरे के पास बडा फील्ड सांगोद तहसील सांगोद,

18. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार जैन(वकील वादी)
2. श्री बाबूलाल अरविन्द(वकील प्रतिवादीगण)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–

- यह कि ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 2454 की 1.95 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 17 के नाम से दर्ज है, इसी प्रकार ग्राम सांगोद पटवार हल्का सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी कम 1 ता 10 के नाम से दर्ज है, राजस्व रेकार्ड मुताबिक यद्यपि उक्त कृषि भूमि खसरा न0 2454 की 1.95 हेक्टर में वादी का हिस्सा 23/195 व खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर भूमि मे 5/6 हिस्सा दर्ज है, परन्तु मौके पर वादी खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में है, उक्त खसरा नम्बर 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि मे प्रतिवादी कम 1 ता 10 का नाम नाम मात्र दर्ज है। लेकिन उन्होने कभी भी वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही की है।

- यह कि राजस्व रेकार्ड मे उक्त कृषि भूमियों तत्कालीन खातेदार प्रभूलाल पुत्र गणेशराम माली निवासी सांगोद व उनकी सगी बहिन पुष्पाबाई पुत्री गणेशराम पत्नी रामनारायण के नाम से दर्ज रही है, उक्त कृषि भूमि मे अन्य बहिनो की तरह पुष्पाबाई द्वारा भी उनका हक अपने सगे भाई प्रभूलाल के पक्ष मे छोड दिया गया था, जिसकी वजह से उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों का उपयोग–उपभोग प्रभूलाल पुत्र गणेशराम कर रहे थे। उस वक्त पुष्पाबाई का स्वर्गवास हो जाने

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

की वजह से श्री प्रभूलाल के पक्ष मे हक छोडने की रजिस्ट्री नही हो पायी थी।

- यह कि श्री प्रभूलाल पुत्र गणेशराम को सन 2004 में रूपयो की आवश्यकता होने से उन्होने दिनांक 30.07.2004 को जर्ये पंजीकृत विकय विलेख खसरान० 328 की 1.35 हेक्टर कृषिभूमि को श्रीमती कौशल्यादेवी पत्नी बनवारीलाल जाति महाजन निवासी सांगोद को विक्रय कर कब्जा संभला दिया था, परन्तु उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे मृतक पुष्पाबाई का नाम भी दर्ज होने से विक्रय विलेख दिनांक 30.07.2004 मे वक्त निष्पादन खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर में से प्रभूलाल का सम्पूर्ण हिस्सा 5/6 व खसरा नं0 2454 की 1.95 हैक्टर भूमि मे से विकेता प्रभूलाल के 5/6 हिस्से में से 0.23 हेक्टर भूमि का विक्रय होना अंकित किया गया। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 30.07.2004 के अनुक्रम में श्रीमती कौशल्यादेवी का नाम खसरा न0 2454 की 1.95 हेक्टर भूमि में 23/195 हिस्से पर तथा खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर भूमि में 5/6 हिस्सा भूमि पर दर्ज किया गया, परन्तु कौशल्यादेवी का उपयोग उपभोग खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर भूमि में ही रहा।

- यह कि श्रीमती कौशल्या देवी को पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से उन्होने उनके हिस्से में दर्ज उक्त कृषि भूमियो को पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा वादी को विक्रय कर दिया तथा वादी को खसरा न० 328 की 1.35 हेक्टर कृषि भूमि पर कब्जा संभला दिया, जिस पर वादी शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग में है। श्रीमती कौशल्या देवी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख के आधार पर वादी के पक्ष मे नामान्तरण भी दर्ज कर दिया गया, जिसके आधार पर वादी का नाम उक्त कृषि भूमियो मे दर्ज हो चुका है।

- यह कि यद्यपि वादी मौके पर खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि मे शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग में हैं, परन्तु उक्त कृषिभूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम 5/6 हिस्से पर दर्ज है, तथा शेष भूमि मृतक प्रभूलाल पुत्र गणेशराम माली की सगी बहिन पुष्पाबाई के वारिसान प्रतिवादी न० 1 ता 10 के नाम से दर्ज है, इतना ही नहीं, वादी का नाम खसरा न0 2454 की 1.95 हेक्टर भूमि मे भी 23/195 हिस्से पर दर्ज चला आ रहा है, जबकि उक्त भूमि मौके पर वादी के उपयोग–उपभोग मे नही होकर प्रतिवादीगण के ही उपयोग उपभोग में है। क्योकि वादी को खातेदार कौशल्यादेवी द्वारा खातेदार प्रभूलाल से प्राप्त खसरा न० 328 की 1.35 हेक्टर भूमि ही मौके पर संभलायी गयी थी, उक्त भूमि खसरा न० 328 में वादी अपना नाम प्रथक से दर्ज करवाना चाहता है। उक्त समस्त कृषि भूमियों शामलाती मे दर्ज होने की वजह से वादी को अपने शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग की खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि में विकास कार्य आदि करने में असुविधा का सामना करना पडता है, वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन भी किया, कि कृषि भूमियो का विभाजन करवाकर खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषिभूमि को वादी के खाते प्रथक से दर्ज करवा लेते है, परन्तु प्रतिवादीगण मात्र आश्वासन देते रहे है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया, कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन कृषिभूमि व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करें। यही इस वाद की विषयवस्तु है।

- यह कि वादकारण दिनांक 05.04.2022 को उत्पन्न हुआ, जब वादी ने प्रतिवादीगण से कृषि भूमियों के विभाजन हेतु व खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि को वादी के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया व प्रतिवादीगण ने एक बार पुनः आश्वासन देकर वादी की प्रार्थना को अनसुना कर दिया।

- यह कि प्रतिवादी कमांक 1 ता 10 को मृतक पुष्पाबाई पुत्री गणेशराम के वारिस होने की वजह से उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य को लेण्डहोल्डर होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है।

- यह कि न्यायशुल्क के प्रयोजनार्थ उक्त वाद का मूल्यांकन 1000 रू किया जाकर उक्त वाद निश्चित न्यायशुल्क रूपये 2/— पर आदरणीय न्यायालय में अवधि मध्य सादर प्रस्तुत है।

- यह कि उक्त कृषि भूमियों ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का क्षेत्राणिकार व श्रवणा धिकार प्राप्त है।

- अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 2454 की 1.95 हैक्टर व खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर कृषिभूमियों का विभाजन किया जाकर वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग मे पूर्व से ही मौजूद खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि को बाद विभाजन वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करे तथा उक्त खसरा न० 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। उक्त घोषणा के अनुक्रम में वादी का नाम प्रथक से खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर भूमि में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाकर लगान प्रथक से दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें तथा वादी के पक्ष में प्रतिवादी कम 1 ता 10 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे कि वे ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में स्थित खसरा न0 328 की 1.35 हैक्टर कृषि भूमि में नाम मात्र दर्ज होने के आधार पर उक्त कृषि भूमियो को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने का प्रयास नहीं करें, और न ही उक्त भूमि मे वादी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे बाधा पहुंचाने का प्रयास करे।

वादी की ओर से उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 लगायत 17 की ओर से आशय का जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के तथ्यों को खण्डित किया है तथा जवाबदावे में

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

मुख्यरूप से कथन ...

- यह कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में गणेशराम पुत्र बाल्या जाति माली निवासी ग्राम सांगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 934 की 8 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1801 की 12 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 की 20 बीघा 8 बिस्वा आराजीयात स्थित थी जिस पर गणेशराम जी ने उनके जीवनकाल में काबिज होकर काश्त किया तथा गणेशराम जी की मृत्यु के बाद उक्त पैत्तृक आराजीयात गणेशराम जी के वारिसान प्रभूलाल, पुष्पाबाई, रामचन्द्री, जगन्नाथी, छोटीबाई, नटी के नाम खाते दर्ज होने से काबिज होकर काश्त किया है। साथ ही उक्त आराजीयात के बारे में सेटलमेंट हो जाने से खसरा नंबर व रकबे में परिवर्तन होने से खसरा नंबर 1934 की 8 बीघा 7 बिस्वा का नया खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर दर्ज हुआ है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1801 की 12 बीघा 1 बिस्वा का नया खसरा नंबर 2454 की 1.95 हैक्टर दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर 2454 की 1.95 हैक्टर आराजी में केता कौशल्यादेवी पत्नी बनवारीलाल का 23/390 तथा पुष्पाबाई का 1/6 हिस्सा तथा शेष खातेदारान जो प्रभूलाल जी के वारिसान हैं, उनका प्रत्येक का 93/2080 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया है तथा खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर की आराजी में वादी का 5/6 हिस्सा तथा हम प्रतिवादी कं. 8, 9, 10 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तथा हम प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 का प्रत्येक का 1/90 हिस्सा तथा हम प्रतिवादीगण कं. 5, 6, 7 का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिस पर हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 को उक्त आराजी में निहित हिस्से की आराजी पर काबिज होकर सभी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा वादी को हम प्रतिवादीगण कं. 1 लगायत 10 के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी के बाबत किसी प्रकार के कोई अधिकार हांसिल नही होते हैं।

- यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात में से खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर की आराजी जो आबादी के नजदीक तथा मुख्य सडक के नजदीक स्थित है। साथ ही आबादी व मुख्य सडक के नजदीक होने से आराजी की बाजार दर अधिक होने से वादी के मन में बदनियति आने लगी है तथा वादी उक्त आराजी खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर से जबरन हम प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहता है। इसलिये वादी ने यह वाद मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

- यह कि वादी चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति हैं जो पैसै वाला होने से जबरन हम प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी पर भी कब्जा करना चाहता हैं तथा जबरन बेदखल कर देना चाहता है। हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिनको उक्त आराजी के उपयोग–उपभोग करने सम्बन्धी कानूनन सभी अधिकार प्राप्त हैं तथा वादी को हम प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी के बारे में किसी प्रकार के कोई अधिकार हांसिल नहीं होते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

मुख्यरूप से कथन किये हैं कि :—

- यह कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद में गणेशराम पुत्र बाल्या जाति माली निवासी ग्राम सांगोद के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 934 की 8 बीघा 7 बिस्वा तथा खसरा नंबर 1801 की 12 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 की 20 बीघा 8 बिस्वा आराजीयात स्थित थी जिस पर गणेशराम जी ने उनके जीवनकाल में काबिज होकर काश्त किया तथा गणेशराम जी की मृत्यु के बाद उक्त पैत्तृक आराजीयात गणेशराम जी के वारिसान प्रभूलाल, पुष्पाबाई, रामचन्द्री, जगन्नाथी, छोटीबाई, नटी के नाम खाते दर्ज होने से काबिज होकर काश्त किया है। साथ ही उक्त आराजीयात के बारे में सेटलमेंट हो जाने से खसरा नंबर व रकबे में परिवर्तन होने से खसरा नंबर 1934 की 8 बीघा 7 बिस्वा का नया खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर दर्ज हुआ है। इसी प्रकार खसरा नंबर 1801 की 12 बीघा 1 बिस्वा का नया खसरा नंबर 2454 की 1.95 हैक्टर दर्ज हुआ है तथा खसरा नंबर 2454 की 1.95 हैक्टर आराजी में केता कौशल्यादेवी पत्नी बनवारीलाल का 23/390 तथा पुष्पाबाई का 1/6 हिस्सा तथा शेष खातेदारान जो प्रभूलाल जी के वारिसान हैं, उनका प्रत्येक का 93/2080 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया है तथा खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर की आराजी में वादी का 5/6 हिस्सा तथा हम प्रतिवादी कं. 8, 9, 10 का प्रत्येक का 1/30 हिस्सा तथा हम प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 का प्रत्येक का 1/90 हिस्सा तथा हम प्रतिवादीगण कं. 5, 6, 7 का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिस पर हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा हम प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 को उक्त आराजी में निहित हिस्से की आराजी पर काबिज होकर सभी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा वादी को हम प्रतिवादीगण कं. 1 लगायत 10 के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी के बाबत किसी प्रकार के कोई अधिकार हांसिल नही होते हैं।

- यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात में से खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर की आराजी जो आबादी के नजदीक तथा मुख्य सडक के नजदीक स्थित है। साथ ही आबादी व मुख्य सडक के नजदीक होने से आराजी की बाजार दर अधिक होने से वादी के मन में बदनियति आने लगी है तथा वादी उक्त आराजी खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर से जबरन हम प्रतिवादीगण को बैदखल कर कब्जा करना चाहता है। इसलिये वादी ने यह वाद मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

- यह कि वादी चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति हैं जो पैसै वाला होने से जबरन हम प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी पर भी कब्जा करना चाहता हैं तथा जबरन बैदखल कर देना चाहता है। हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिनको उक्त आराजी के उपयोग—उपभोग करने सम्बन्धी कानूनन सभी अधिकार प्राप्त हैं तथा वादी को हम प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी के बारे में किसी प्रकार के कोई अधिकार हांसिल नहीं होते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

- यह कि उक्त वर्णित आराजीयात हम प्रतिवादीगण की पैत्तृक आराजीयात है तथा हम प्रतिवादीगण उक्त वर्णित आराजीयात पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। साथ ही उक्त वर्णित आराजी सम्मिलत खाते में दर्ज है। इसलिये कानूनन सभी खातेदारों को प्रत्येक इंच भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है।

- यह कि वादी ने उक्त वर्णित आराजी के बारे में विक्रय विलेख होना वर्णित किया है किन्तु वादी के पूर्व केता कौशल्यादेवी व वादी ने कितनी आराजी किस खातेदार से क्रय की, कोई दस्तावेज माननीय न्यायालय में वादपत्र के साथ पेश नहीं किया है। यदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज है तो उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये था किन्तु वादी ने माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है जिसके आधार पर वह माननननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

- अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादस व्यय खारिज फश्रमाया जावें तथा हम प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा 5000/–रूपये वादी से दिलवाया जावे।

तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण ने दिनांक 16.09.2025, दिनांक 30.01.2026, दिनांक 03.02.2026 एवं दिनांक 10.02.2026 को अलग–अलग उपस्थित होकर राजीनामें प्रस्तुत किये तथा उभय पक्षकारान ने राजीनामें में वादग्रस्त आराजी में से खसरा नंबर 328 की 1.35 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज करने एवं खसरा नंबर 2454 की 1.95 हैक्टर आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज करने में सहमति व्यक्त की। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें तस्दीक किये गये। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामों के अनुसार वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खसरा नंबर 328 रकबा 1.35 हैक्टर आराजी का वादी को एवं खसरा नंबर 2454 रकबा 1.95 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1 लगायत 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगानराज पृथक–पृथक अंकित किया जावे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 6/3/2026 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 42 / 2022 / दावा

मोहनलाल पुत्र रत्तीराम जाति कलाल निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। –वादी–

–बनाम–

1. उमेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति माली,

2. द्वारकालाल पुत्र तुलसीराम जाति माली,

3. मोहनलाल पुत्र तुलसीराम जाति माली,

निवासीगण ग्राम धूलेट तहसील कनवास जिला कोटा

4. कमलेश पुत्री कन्हैयालाल पत्नी प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम व पोस्ट राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा,

5. निर्मला पुत्री कन्हैयालाल पत्नी लेखराज सुमन जाति माली निवासी ग्राम बडोरा तहसील अटरू जिला बारां,

6. मंजू पुत्री कन्हैयालाल पत्नी दोलतराम जाति माली निवासी बडोरा तह0 अटरू जिला बारां,

7. रमेश पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी ग्राम धूलेट तहसील कनवास,

8. दाखां बाई पुत्री रामनारायण पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति माली निवासी ग्राम पनवाड तहसील खानपुर मृतक जर्ये कायम मुकामान

8 / 1. हेमन्त कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार माली,

8 / 2. शेखर माता संतूबाई पुत्र गिरिराज माली,

8 / 3. ईशू माता संतूबाई पुत्री गिरिराज जाति माली निवासीगण घांसभैरू जी चबूतरे के पास अन्ता जिला बारां,

8 / 4. रिंकूबाई माता संतूबाई पुत्री गिरिराज पत्नी मुकेश जाति माली निवासी तेलियो के मंदिर के पास ताथेड जिला कोटा,

9. नन्दकंवरबाई पुत्री रामनारायण पत्नी द्वारकालाल जाति माली निवासी देदिया गांव का रास्ता मस्जिद के पास खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड,

10. बिरधीलाल पुत्र रामनारायण जाति माली निवासी गुलमोहर चौराहा पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड,

11. चम्पाबाई पुत्री प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद,

12. छीतरलाल पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद,

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

13. मनभरबाई पुत्री प्रभूलाल जाति माली निवासी नोहरा पाडा सांगोद तह0 सांगोद जिला कोटा,

14. ममता पुत्री सत्यनारायण जाति माली,

15. रविन्द्र पुत्र सत्यनारायण जाति माली,

16. सीमा पुत्री सत्यनारायण जाति माली,

17. कन्याबाई पत्नी स्व० सत्यनारायण जाति माली

निवासी भैरुजी के चबूतरे के पास बडा फील्ड सांगोद तहसील सांगोद,

18. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वाद वास्ते खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

तारीख फैसला दिनांक _____ यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद के खसरा नंबर 328 रकबा 1.35 हैक्टर आराजी का वादी को एवं खसरा नंबर 2454 रकबा 1.95 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1 लगायत 17 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगानराज पृथक–पृथक अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज _____ मुबलिग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 6/3/2026 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा